Order sheet [Contd]

case No- B.A-89/2018

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

08-03-18

04:00 P.M to 04:15 P.M. राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0। अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह की ओर से श्री बी.एस. तोमर अधिवक्ता ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। जमानत आवेदन का कारण देखते हुए प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया, जोगेन्द्र की ओर से मेमो भी प्रस्तुत किया गया।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 का प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की समर्थन में आवेदक के पिता कमल सिंह के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। नकल अभियोजन को दिलाई गई।

आवेदक / अभियुक्त जोगेन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि कथित प्रकरण में प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर स्वतंत्र होकर नियत पेशियों पर उपस्थित होता रहा है। किंतु प्रार्थी प्रकरण के विचारण के दौरान परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी के लिए अहमदाबाद चला गया और वहां पीलिया रोग से पिडित होकर चलने फिरने में असमर्थ हो गया। जिस कारण प्रार्थी नियत पैशी दिनांक 13.04.15 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और न ही अपनी अनुपस्थिति की सूचना अपने अभिभाषक को दे सका। जिसक कारण माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी की जमानत जप्त कर उसके विरूद्ध स्थाई गिरफतारी वारंट दिनांक 03. 11.16 को जारी कर दिया। कथित गिरफतारी वारंट के पालन में मालनपुर पुलिस के द्वारा प्रार्थी को दिनांक 22.02.18 को गिरफ्तार कर लिया गया है, तब से आवेदक कथित झूठे अपराध में निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में होकर उपजेल गोहद में बंदी है। जबकि आवेदक की अनुपस्थिति मजबूरी वश बीमारी के कारण हुई है और प्रार्थी का कथित अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक को कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं है। यदि आवेदक को अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की एवं भूखों मरने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी एवं आदतन अपराधियों के साथ रहने से उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पडेगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से घोर विरोध करते हुए आवेदन निरस्त करने पर बल दिया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा इस सत्र प्रकरण के अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह के दिनांक 13.04. 15 को अनुपस्थित रहने पर जमानत मुचलके जप्त किए गए हैं। उसके पश्चात वह लगातर अनुपरिथत रहा है और दिनांक 03.11.16 को उसका स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस दौरान सात साक्षियों की साक्ष्य हो चुकी है। अभियुक्त जोगेन्द्र स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है, अपित् उसे दिनांक 22.02.18 को स्थाई गिरफ्तारी वारंट के पालन में प्रस्तुत किया गया है। सातों साक्षियों की साक्ष्य अभियुक्त जोगेन्द्र की अनुपस्थिति में होने पर उन्हें पुनः तलब किया जाना होगा, जिससे कि निश्चित है कि प्रकरण विलंबित होगा। इस मामले में दिनांक 14.04.14 को अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार यह प्रकरण लगभग पौने चार वर्षों से लंबित है। पूर्व में सह अभियुक्त शंकर और प्रमोद अनुपस्थित रह चुके है। जिसके कारण प्रकरण विलंबित रहा है। अभियुक्त जोगेन्द्र के कारण भी प्रकरण विलंबित रहा है। अतः इस संभावना से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि यदि अभियुक्त जोगेन्द्र को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः अनुपस्थित हो जाएगा। जिसके कारण प्रकरण और अधिक वर्षों तक विलंबित होगा। आवेदक की ओर से स्वस्थ खराब होने के संबंध में कोई चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मामलें की इन संपूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन निरस्त किया गया।

> अभियोजन साक्षी कमांक 01 लगायत 07 के समंस जारी हैं। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 05.04.18 को पेश हो।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला मिण्ड

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
ELIA PA	SILANIE SUNTA RECO	
(2)	- 也。 在也。	Alex
	ALLEN A LA L	
	STILL STORY	

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
The state of the s	necessayry

A THAT I FREE TO SEE THE SECOND SECON

